R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
LL.B part IInd
Paper VIth
Environmental Law

चीता रक्षित भू-भाग सम्बन्धी अपराधों हेतु दण्ड [धारा 51(1-ग)]

चीता रक्षित भू-भाग के मध्य क्षेत्र में कारित अपराध अथवा चीता रक्षित भू-भाग के सम्बन्ध में शिकार सम्मिलित अपराध अथवा चीता रक्षित भू-भाग की सीमा रेखा में परिवर्तन सम्बन्धी अपराध हेतु पहली दोष सिद्ध पर कम से कम तीन वर्षों का कारावास जो सात वर्षों तक हो सकता है तथा अर्थदण्ड जो कम से कम पचास हजार रुपये और दो लाख रु० तक बढ़ाया जा सके, से दण्डनीय होगा।

दूसरी तथा बाद की दोष सिद्धि, कम से कम सात वर्षों के कारावास तथा कम से कम पाँच लाख रुपये के अर्थदण्ड जिसमें वृद्धि पचास लाख रु० तक की जा सकती है, से दण्डनीय होगा।

उपरोक्त अपराधों हेतु उकसाने के लिए भी अपराध के समान ही दण्ड होगा।

अपराधों के सुलह के बारे में शक्ति (धारा 54).

(1) केन्द्र सरकार अधिसूचना

Scanned with CamScanner

द्वारा राज्य जीव अनुरक्षण निदेशक अथवा किसी अन्य अधिकारी को जो वन्य जीव अनुरक्षण सहायक के रैंक से नीचे का न हो, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार समान रूप से सुरक्षा वन्य जीव अभिरक्षक अथवा उप वन्य अनुरक्षक के रैंक से नीचे का न हो अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति से जिसके बारे में युक्तियुक्त सन्देह है कि उसने अधिनियम के विरुद्ध अपराध कारित किया है, धन की राशि स्वीकार कर सकता है।

(2) निर्धारित राशि के भुगतान के बाद संदिग्ध व्यक्ति यदि अभिरक्षा में है तो छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई दूसरी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) सुलह कराने वाला अधिकारी अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त परमिट को रद्द कर सकता है, यदि वह स्वतः सक्षम नहीं है तो लाइसेन्स और परमिट रद्द करने की शक्ति रखने वाले अधिकारी के पास जा सकता है।

(4) धारा 54(1) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि अथवा स्वीकार करने के लिए सहमति राशि किसी भी दशा में 25 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, परंतु कोई भी अपराध जिसके लिए धारा 51 के अंतर्गत न्यूनतम कारावास निर्धारित किया गया है, इसके बारे में सुलह नहीं की जा सकेगी।

अपराधों का संज्ञान (धारा 55)

इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न

Scanned with CamScanner

को छोड़कर किसी इसके प्रतिवाद पर न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा—

(1) वन्य जीव अनुरक्षण निदेशक अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, या

(2) चीता संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव, अथवा

(3) सम्बन्धित चीता रक्षित भू भाग का निदेशक,

(4) भाग IV-A के उपबन्धों के उल्लंघन सम्बन्धी विषयों में केन्द्रीय चिड़ियाघर का इंचार्ज अधिकारी, या, उक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन सदस्य सचिव या,

(5) मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक या इतर्था राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी उस सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन;

(6) धारा 38 के उपबन्धों के उल्लंघन के सम्बन्ध में चिड़ियाघर का इन्चार्ज अधिकारी, या

(7) कोई व्यक्ति जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को कथित अपराध हेतु परिवाद का आशय विधि तरीके से नोटिस देकर जाहिर किया है।

अन्य विधियों का प्रवर्तन निषिद्ध नहीं (धारा 56)

दूसरे अधिनियम या विधि में अपराध का अभियोजन या ज्यादा दण्ड पर रोक नहीं होगी। परन्तु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दुबारा दण्डित नहीं होगा। यह दोहरे जोखिम के विरुद्ध संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

Scanned with CamScanner

कतिपय मामलों में उपधारणा (धारा 57)

इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन में जहाँ यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति किसी वन्य पशु, पशु वस्तु, मांस, ट्राफी, अनुपचारित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप, उसके भाग या व्युत्पन्नी के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है तो यह उपधारणा होगी की ऐसा व्यक्ति अवैधानिक कब्जे अभिरक्षा या नियंत्रण में है, जब तक कि विपरीत साबित नहीं हो जाता। सबूत का भार अभियुक्त पर होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध (धारा 58)

जहाँ इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है। अपराध कारित होते समय प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी का चार्ज लिए था या कम्पनी के व्यवसाय और कम्पनी के लिए उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और तद्नुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा दण्डित किया जाएगा।

अपवाद —

परंतु ऐसा व्यक्ति दण्ड के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा यदि वह साबित कर देता है कि (1) अपराध उसके जानकारी के बिना कारित हुआ था (2) उसने ऐसा अपराध को घटित होने से निवारण हेतु सावधानी बरता था

यदि साबित हो जाता है कि अधिनियम विरुद्ध अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के कारण कारित है अथवा उसकी तरफ से उपेक्षा मानी जा सकती है वह माना जाएगा कि वह उस अपराध का दोषी है और तद्नुसार अभियोजित एवं दण्डित किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

स्पष्टीकरण

कंपनी का तात्पर्य निगमित निकाय से है और इसके अंतर्गत एक फर्म अथवा व्यष्टियों का संगम सम्मिलित है।

एक फर्म के सम्बन्ध में निदेशक का तात्पर्य फर्म में भागीदार से है।